फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पंचायत समिति भदेसर जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर

बनाम

लालूराम पिता शंकरलाल भील निवासी आसावरा, तहसील भदेसर वगैरा

कार्यवाहीः–अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण संख्या 130/2021 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 08.02.2024 को बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 17254 दिनांक 05.07.2018 न्याय नियम एवं अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा नियम 167 (1) के अन्तर्गत जारी किया है जो प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। नियम 167 (1) के अन्तर्गत जारी पट्टा जो रूपये 10,000/– से अधिक राशि के अन्तरण का है जिसकी पुष्टि नियम 154 (3) मे उल्लेखित प्राधिकारी से नहीं कराई गई है। पट्टा आवासीय दिया गया है जबकि मौके पर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है। अतः पट्टा निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 व 2 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को उसके पुराने कब्जे के आधार पर सशुल्क डी एल सी दर पर नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया है। जबकि तेली साहू समाज की धर्मशाला को प्रथम पट्टा दिनांक 03.01.1972 तथा दूसरा पट्टा दिनांक 11.10.1980 को जारी किया उक्त दोनों भूखण्डों को तेली समाज द्वारा एक करके इसका दुरूपयोग किया जा रहा है धर्मशाला का सामाजिक उपयोग नहीं करके अवैध तरीके से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है धर्मशाला की दक्षिण दिशा में जो खिड़की रोशनदान, छज्जे व नालियां निकाल रखी है वह धर्मशाला के पट्टेशुदा भू–भाग में नहीं होकर अन्य भूमि में है। इसलिए तैलिक साहू समाज धर्मशाला के पट्टे निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 1 का बाप–दादाओं से कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर उसे पट्टा जारी किया गया है तथा गैर निगराकार संख्या 1 ने उक्त पट्टा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से गैर निगराकार संख्या 2 को विक्रय किया जिस पर गैर निगराकार संख्या 2 का कब्जा होकर उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। उक्त पट्टे का 1/2 हिस्सा गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 02.11.2018 को रेखा देवी मोची के हक में पंजीयन करा	.....लगातार

दिया तथा रेखा देवी मोची ने पुनः अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री गैर निगराकार संख्या 2 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार पट्टे वाले सम्पूर्ण भूखण्ड का गैर निगराकार संख्या 2 विधिवत् मालिक होकर निर्माण कराया जा रहा है तथा इसी पट्टे संबंधी वाद उभय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय मण्डफिया मे विचाराधीन होकर स्थगन आदेश पारित कर रखा है। अतः निगरानी खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकार ने, गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ ग्राम पंचायत आसावरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 17254 दिनांक 05.07.2018 के विरूद्ध निगरानी पेश की है तथा इसी पट्टे से संबंधित एक अन्य निगरानी तैलिक साहू समाज ने भी गैर निगराकार संख्या 1 के विरूद्ध पेश की जिसके प्रकरण संख्या 110/2021 (नि.पं.) हैं। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के द्वारा पत्रावली में पेश किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि उभय पक्ष के मध्य उक्त विवाद्य–विषय/पट्टे से संबंधित वाद जिसके प्रकरण संख्या, मु0 दी0 संख्या 12/2022 कविता बनाम तैलिक साहू समाज होकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन होकर ''माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है तथा उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के संबंध में अधिवक्ता निगराकार ने भी सहमति प्रकट की है।''

चूंकि इसी विवाद्य–विषय/पट्टे से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डफिया, जिला चित्तौड़गढ़ में भी विचाराधीन होने से, उक्त निगरानी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के तहत स्थगित की जाती है।